

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-368RAAJodhpur2023-183 RTA223 Pokarram Vs State

पोकरराम पुत्र श्री मंगाराम जाति बेलदार, निवासी-  
ग्राम रावरा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक  
07 जून 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
बाप राजस्व मूल वाद संख्या 152/2017 पोकरराम  
बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट  
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय

दिनांक : 25 जनवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा  
राजस्व मूल वाद संख्या 152/2017 पोकरराम बनाम तहसीलदार बाप में  
पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील  
अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा  
223 के तहत दिनांक 18 सितंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांडस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम  
प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का  
निवेदन किया।

दिनांक 25.1.24  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर


प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 114 रकबा 92 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रावरा के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जून 2018 को पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प नूरे की भूर्ज में रखकर वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प नूरे की भूर्ज में दिनांक 07.06.2018 को रखने बाबत तथा लोक अदालत कैम्प न्यायालय हाजा में रखने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं वाद को खारिज कर दिया अर्थात् अपीलाधीन निर्णय वादी को बिना सुने एकतरफा पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से इसी बिनाय पर निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी नियमित वाद में एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाद की कार्यवाही किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। एक नियमित वाद को दर्ज रजिस्टर होने के उपरांत प्रतिवादी को नोटिस जारी होने के उपरांत आवश्यकता होने पर जवाब आने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर बहस सुनकर तनकीवार विवेचन कर निष्कर्ष अंकित करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करने के कानूनी प्रावधान है, चाहे वाद राज्य सरकार के विरुद्ध ही क्यों न हो। विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद पत्रावली में एक नियमित वाद की कानूनी प्रक्रियाओं को बिना अपनाये निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि प्रतिवादी/रेस्पो. का नोटिस तामील नहीं हुआ तथा तथा पत्रावली तामील में चल रही थी, जिसके जवाब की प्रति वादी

25.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

को प्राप्त नहीं हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में लिखा है कि तहसीलदार बाप से जवाब प्राप्त हुआ है। इस संबंध में वादी को कोई जानकारी नहीं थी। अगर जवाब प्राप्त हुआ था भी तो पत्रावली तनकीयात में जानी चाहिए थी, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को सरसरी दृष्टि से धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग बताते हुए खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। धारा 151 सीपीसी में किसी नियमित वाद को इस स्तर पर किसी भी सूत्र में खारिज नहीं किया जा सकता। धारा 151 सीपीसी में न्यायालय के स्वविवेकीय अधिकार (Inherent power of courts) बताये गये है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि विचारण न्यायालय वादी के नियमित वाद को उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये खारिज दिया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद पत्रावली में धारा 151 सीपीसी का गलत रूप से प्रयोग करते हुए वादी के वाद को खारिज कर दिया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वैधानिक दृष्टि से बिल्कुल ही उचित नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 116 के संबंध में खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश की थी, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की जा रही है अर्थात् उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि न होकर काबिल काश्त भूमि है तथा कानूनन ऐसी भूमि पर काबिज व्यक्ति को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर आज दिनांक तक डिक्री पर्चा नहीं बनाया है। यह भी विचारण न्यायालय की भयंकर कानूनी भूल है। कानूनन एक नियमित वाद को अगर संपूर्ण रूप से खारिज किया जाता है अथवा स्वीकार किया जाता है तो उसमें डिक्री पर्चा बनाने के आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा बनाये बिना संपूर्ण वाद को खारिज कर दिया, इस कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश की जा रही



25.11.24  
राजस्थान प्रशासन  
जोधपुर

है, जिसमें निर्णय के ऑपरेटिव भाग को डिक्री पर्चा माना जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली तहसीलदार बाप की तामील हेतु विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट नूरे की भूर्ज में रखना बताया, जिसका नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया तथा उसी दिन पत्रावली को नूरे की भूर्ज में नहीं रखकर केम्प कोर्ट न्यायालय में रखकर धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी। वादी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वादी को कहा गया कि जब आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जायेगा। अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर दिनांक 14.09.2023 को वादी द्वारा संपूर्ण पत्रावली की नकले लेने पर आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलार्थी ने प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 152/2017 पोकरराम बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2018 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किया है।

25.1.24  
राजस्व अपील अधिकारी  
जोधपुर

अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखी जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को आलौच्य निर्णय की जानकारी समय पर नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट कथनानुसार एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शमार किया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादी तहसीलदार से जवाब लिये बिना तथा दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायमी बिना, उभय पक्ष की साक्ष्य लिये बिना पत्रावली को दिनांक 07.06.2018 को केम्प कोर्ट नूरे की भूर्ज में रखे जाने की आदेशिका मुहर से लगाते हुए पत्रावली को नूरे की भूर्ज केम्प कोर्ट में रखा जाकर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग कर वाद खारिज कर दिया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

25.1.24  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 152/2017 पोकरराम बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जून 2018 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद विचारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।



25-1-24  
(मंगलाराम पूनिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर